

क्रमांक / एम.डी. / मंडी बोर्ड / पीए / ई-अनुज्ञा / ५१४

भोपाल, दिनांक १६/०८/२०१९

प्रति,

- 1— सयुक्त / उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय (समर्त)
2— सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
जिला (समर्त)

विषयः— प्रदेश की समर्त कृषि उपज मंडियों में ई-अनुज्ञा प्रणाली का सफल कियान्वयन सुनिश्चित करने बाबत।

प्रदेश की समर्त कृषि उपज मंडियों में ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू होने से सभी मंडियों एवं उपमंडियों में व्यापारियों को ई-अनुज्ञा जारी करने हेतु पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। अतः आप यह सुनिश्चित करें कि अवकाश के दिनों में भी अपने अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर ई-अनुज्ञा प्रणाली को कुशलता पूर्वक लागू करावे। यदि किसी व्यापारी को किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो उसको आवश्यक सभी सहयोग प्रदान करे तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सक्षम स्वीकृति के बिना कोई भी सचिव, मंडी निरीक्षक एवं सहायक उपनिरीक्षक अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / एम.डी. / मंडी बोर्ड / पीए / ई-अनुज्ञा / ५१९

भोपाल, दिनांक १६/०८/२०१९

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2— चीफ प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3— भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति जिला (समर्त) की ओर पालनार्थ।

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल